लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

1st Lok Sabha

Preservation Unit
9-4-92
Fumigated
Out 11/11/83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—

कुछ सदस्यों का निधन १

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २

राष्ट्रपति का अभिभाषण . २—७

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . . ८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८—१२

लोक-लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १२

सदस्यों द्वारा पद त्याग १२

दैनिक संक्षेपिका . १३—१६

अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—

श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन १७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १७—२०

प्राक्कलन समिति—

चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन २१

सदस्य द्वारा पदत्याग . . २१

रेलवे आय-व्ययक, १९५७—५८—

उपस्थापित . . . . . २१—२४

१९५६—५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण २४

१९५२—५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण २५

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण २५—२६

१९५६—५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण . २६

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . २६—२८

विचार के लिये प्रस्ताव . . . २६

खंड २ से ७ और १ . . . . . २७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८

विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . . २८—३८

विचार के लिये प्रस्ताव २८

खंड २ से ९ और १ . . . . ३५—३८

	पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में . .	३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित . .	३८–४२
वित्त विधेयक	४२–४३
पुरस्थापित	४२
नियम समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	४३
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	४३
दैनिक संक्षेपिका	४४–४७

अंक ३—बधवार, २० मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९, ५०
प्राक्कलन समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	५०–८४
दैनिक संक्षेपिका	८५

अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन . .	८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . .	८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७ .	१००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनपूरक मांगें १९५६–५७ अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ . } .	१०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल	१२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१२५–२९
दैनिक संक्षेपिका	१३०–३३

अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३५
राज्य सभा से संदेश	१३५

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
प्राक्कलन समिति १३६
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . . १३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग १३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . . १३६
विनियोग विधेयक . . . १३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . १३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . . १३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प . १७२–७७
दैनिक संक्षेपिका १७८–७९

अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
बीसवां प्रतिवेदन १८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . . १८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १८–९४, १९–२२३
सभा का कार्य . . . १९४
दैनिक संक्षपिका २२४

अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २२५–२६
प्राक्कलन समिति—
इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . . २२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७–५८	२२७–२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव . . .	२२९–६१
दैनिक संक्षेपिका . .	२६२–६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन .	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२६५
राज्य-सभा से संदेश . .	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
आक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन .	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
विनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना .	२६६–६७
अनुपस्थिति की अनुमति .	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग . . .	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६८–६९
लेखानुदानों के लिये मांगें .	२७९–३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव . .	३०१
खण्ड १ से ६ . .	३०२
पारित करने का प्रस्ताव .	३०२–०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३०३–०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन . . .	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०–११

पृष्ठ

अंक ९—बुधवार, २७ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३११–१६

लोक-लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ३१६

प्राक्कलन समिति—

बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . . ३१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . . ३१६–१८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—

विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . . ३१८

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . ३१८–३३

लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . . ३३३–४७

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—

पुरःस्थापित ३४८

केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा ३४८–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५६

अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३५७–६०, ३६५

हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . . ३६०

राज्य-सभा से संदेश ३६१

लोक-लेखा समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ३६१

प्राक्कलन समिति—

छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से छासठवां प्रतिवेदन ३६१

याचिका समिति—

बारहवां प्रतिवेदन ३६२

आश्वासनों संबंधी समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है । ३६२–६३

स्थगन प्रस्ताव—

कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय ३६३–६४

सदस्यों द्वारा पद-त्याग ३६५

	पृष्ठ
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३५९
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . .	३५९
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३६०–७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १९५७–५८ . . .	३७२–८२
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
पारित	३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . .	३८२–९०
विचार करने का प्रस्ताव	३८२
खंड १ से ३	३९०
पारित करने का प्रस्ताव	३९०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा .	३९०–९५
विदाई भाषण	३९५–४०१
दैनिक संक्षेपिका	४०२–०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . .	४०६–०७
अनुक्रमणिका	(१–१०४)

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरुदासपुर)
अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली पूर्व)
अग्रवाल, श्री होती लाल (जिला जालोन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर)
अचल सिंह, सेठ (खिला आगरा पश्चिम)
अचलू, श्री सुकम (नलगोंडा-रक्षित अनुसूचित जातियां)
अचित राम, लाला (हिसार)
अच्युतन, श्री क० त० (क्रेंगन्नूर)
अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
अजित सिंह जी, जनरल (सिरोही-पाली)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा पूर्व)
अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)
अब्दुल्ला भाई, मुल्ला ताहिर अली मुल्ला (चांदा)
अब्दुस्सत्तार, श्री (कलना-कटवा)
अमजद अली, श्री (ग्वालापाड़ा-गारोपहाड़ियां)
अमृतकौर, राजकुमारी (मंडी-महासू)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (तिरुपति)
अय्युण्णि, श्री क० र० (त्रिचूर)
अलगेशन, श्री ओ० वि० (चिंगलपट)
अस्थाना, श्री सीताराम (जिला आजमगढ़—पश्चिम)

आ

आजाद, मौलाना अबुल कलाम (जिला रामपुर व जिला बरेली—पश्चिम)
आजाद, श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना)
आनन्द चन्द, श्री (बिलासपुर)
आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फाज़िल्का-सिरसा)
इब्राहीम, श्री अ० (रांची उत्तर-पूर्व)
इलयापेरुमल, श्री ल० (कड्लूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्णिया—उत्तर पूर्व)
ईयाचरण, श्री इयानी (पोन्नानी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री० मं० गा० (मंडला-जबलपुर दक्षिण---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (जिला प्रतापगढ़---पूर्व)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित---आंग्ल-भारतीय)
एबनजिर, डा० सु० अ० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री स० कु० बेबी (तिरुचेंगोड)
कक्कन, श्री पु० (मदुराई---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
कथम, श्री वीरेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
कमल सिंह, श्री (शाहाबाद---उत्तर-पश्चिम)
कयाल, श्री पारेशनाथ (बसिरहार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़---उत्तर)
कर्णी सिंह जी, हिज़ हाईनेस महाराजा बीकानेर (बीकानेर-चूरू)
कास्लीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा-झाला वाड़)
काचिरायर, श्री न० दो० गोविन्द स्वामी (कडलूर)
काज़मी, श्री सैयद मोहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर---उत्तर व जिला फ़ैजाबाद दक्षिण-पश्चिम)
काजरोलकर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर---उत्तर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्सौर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नान्देड़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)
किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)
कुरील, श्री बैजनाथ (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व जिला रायबरेली पूर्व---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री प्यारेलाल (जिला बांदा व जिला फतहपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (भागलपुर व पूर्निया)
कृष्ण, श्री म० रं० (करीमनगर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जिला मथुरा---पश्चिम)
कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (कोलार)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास)
कृष्णस्वामी, डा० (कांचीपुरम)
केलप्पन, श्री क० (पोन्नानी)
केशव अय्यंगार, श्री न० (बंगलौर उत्तर)
केसकर, डा० ब० वि० (जिला सुल्तानपुर---दक्षिण)
कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुड़ा)
कौट्टकपल्ली, श्री जार्ज थामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० ना० म० (ग्वालियर)
खर्डेकर, श्री बा० ह० (कोल्हापुर व सतारा)
खां, श्री शाहनवाज (जिला मेरठ—उत्तर-पूर्व)
खां, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम्)
खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुलदाना-अकोला)
खौंगमेन, श्रीमती बो० (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित जन जातियां)

ग

गंगादेगी, श्रीमती (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)
गणपति राम, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व—रक्षित अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज़ (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला राय बरेली—पूर्व)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल व बड़ोदा-पूर्व)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—उत्तर)
गाडगील, श्री नरहरि विष्णु (पूना मध्य)
गाडिलिगन गौड़, श्री (करनूल)
गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गिडवानी, श्री चौइथ राम परताबराय (थाना)
गिरधारी भोई, श्री (कालाहांडी-बोलनगिरि रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
गिरी, श्री व० वे० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (जिला मैनपुरी—पूर्व)
गुप्त, श्री लागन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री म० शि० (मैसूर)
गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (शान्ति पूर)
गोपालन, श्री अ० क० (कन्ननूर)
गोपीराम, श्री (मंडी-महासू रक्षित—अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला—जबलपुर दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोतम, श्री (बालाघाट)
गौंडर श्री० क० पैरियस्वामी (इरोड)
गोंडर श्री के० शक्तिवाडिवेल (पैरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

च

चक्रवर्ती श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री नि० चं० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्री रामपुर)
चटर्जी, डा० सुशील रंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरिन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (जिला एटा--मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (बीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (तिरुबल्लूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
चांडक, श्री बी० ल० (बेतूल)
चाड़क ठा० लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा, श्री विमलाप्रसाद (शिवसागर-- उत्तर लखीमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनसकंठा)
चेट्टियार, श्री ति० सू० आबिनाशीलिंगम् (तिरुपुर)
चेट्टियार श्री नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी श्री गनेशी लाल (जिला शाहजहांपुर--उत्तर व खेरी पूर्व-रक्षित--अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदीव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री निकुंजबिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री मुहम्मद शफी (जम्मू तथा काश्मीर)
चौधरी, श्री च० रा० (नरसरावपटे)

(ज)

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद दक्षिण--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री रामराज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री (तिंडीवनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जयश्री, श्रीमती (बम्बई--उपनगर)
जयसूर्य, डा० न० म० (मेदक)
जांगडे, श्री रेशम लाल (बिलासपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जेठन, श्री खेरवार (पालामऊ व पजारीबाग व रांची--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोपर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जेना, श्री निरंजन (ढेंकनाल--पश्चिम कटक--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जैना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर क्योंझर--रक्षित अनुसूचित जातियां)
जैदी, कर्नल ब० हु० (जिला हरदोई उत्तर पश्चिम व जिला फरुखाबाद पूर्व व जिला शाहजहांपुर दक्षिण)
जैन, श्री, अजित प्रसाद (जिला सहारनपुर--पश्चिम व जिला मुजफ्फनगर--उत्तर)
जैन, श्री नेमी शरन (जिला बिजनौर--दक्षिण)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (जिला बहराइच--पश्चिम)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल-सीधी)
जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)
जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)
जोशी, श्री नंदलाल (इंदौर)
जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नगिरि दक्षिण)
जोशी श्री लीलाधर (शाजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)
ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर उत्तर)

(ञ)

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर मध्य)

(ट)

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहबाद पश्चिम)

(ड)

डामी श्री फूलसिंह जी भ० (कैरा–उत्तर)
डामर, श्री अमर सिंह साबजी (झबुआ––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

(त)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कौलार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (सारन दक्षिण)
तिवारी, पंडित ब० ला० (नीमाड़)
तिवारी, सरदार राज भानू सिंह (रीवा)
तिवारी, श्री राम सहाय (छत्तरपुर––दतिया टीकमगढ़)
तिवारी, श्री बेंकटेश नारायण (जिला कानपुर––उत्तर व जिला फरुखाबाद दक्षिण)
तुलसीदास, किलाचन्द श्री (मेहसना पश्चिम)
तेलकीकर, श्री शंकर राव (नन्देड़)
त्यागी, श्री महावीर (जिला देहरादून व जिला बिजनोर––उत्तर पश्चिम व जिला सहारनपुर––पश्चिम)
त्रिपाठी, श्री कामाख्या प्रसाद (दर्रांग)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (जिला उन्नाव व जिला राय बरेली––पश्चिम व जिला हरदोई––दक्षिण-पूर्व)
त्रिपाठी श्री हीरावल्लभ (जिला मुजफ्फरनगर––दक्षिण)
त्रिवेदी श्री उम्मा शंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

(थ)

थिरानी, श्री (बारगढ़)
थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थामस, श्री अ० व० (श्रीबैकुंठम्)

(द)

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता दक्षिण––पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा पूर्व)
दामोदरन, श्री नेत्तूर प० (तेल्लिबेरी)
दामोदरन, श्री गो० रं० (पोल्लाची)
दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई—रक्षित अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री ब० (जाजपुर-क्योंझर)
दास, श्री बेलीराम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (वर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री राम धनी (गया पूर्व–रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेंकनाल—पश्चिम कटक)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा–पश्चिमव व जिला मैनपुरी पश्चिम व जिला मथुरा-पूत)
दीवान, श्री राधवेन्द्र राव श्री निवास राव (उस्मानाबाद)
दुबे, श्री मूलचन्द (जिला फर्रुखाबाद उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधर लाल (बीजापुर—उत्तर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
देवगम, श्री कान्हुराम (चायबसा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती पश्चिम)
देशमुख, डा० पंजाब राव श० (अरावती पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)
द्विवेदी, श्री म० ला० (जिला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोरखपुर मध्य)

(ध)

धुलेकर, श्री र० विए (जिला झांसी—दक्षिण)
धुसिया, श्री सोहन लाल (जिला बस्ती—मध्य व जिला गोरखपुर—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातिया)
धोलकिया, श्री गुलाब शंकर अमृत लाल (कच्छ–पूर्व)

(न)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नटराजन, श्री श० श० (श्री विल्लीपुत्तूर)
नटवाडकर, श्री जयन्त राव गणपति (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

नथवानी, श्री नरेन्द्र (सोरठ)
नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री क० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहम्, श्री च० रा० (कृष्णगिरी)
नरसिंहम्, श्री श० व० ल० (गुंटूर)
नासकर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हारबर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास श्री, मंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू श्री, गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री नाला रेड्डी (राजामुंद्री)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन व मावेलिक्करा)
नायर, श्री वे० प० (चिरनीयकील)
नायर, श्री च० कृष्णन (बाह्य दिल्ली)
नेवटिया, श्री रा० प्र० (जिला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)
नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम)
नेहरू, श्रीमती शिवराजवती (जिला लखनऊ—मध्य)

(प)

पटनायक, श्री उमा चरण (धुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्रीमति मणिबेन वल्लभभाई (कैरा—दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)
पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री (मीर)
परागी लाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री बेंकटराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)
पाण्डे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पाण्डे, श्री व० द० (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर)
पाण्डे, श्री बद्रीदत्त (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री सा० का० (बम्बई नगर दक्षिण)
पाटिल, श्री पं० रा० कानावडे (अहमदाबाद—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड वीरनगौड (बैलगांव दक्षिण)
पारिख, डा० जयंती लाल नरवरम् (झालावाड़)
पारिख, श्री शांतिलाल गिरधारी लाल (मेहसाना—पूर्व)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (आल्लप्पि)

पौकर साहेब, श्री (मलपुरम)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

(फ)

फोतेदार, पण्डित शिवनारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

(ब)

बंसल, श्री धमण्डी लाल (झज्जर-रिवाड़ी)
बंसीलाल, श्री (जयपुर)
बदनसिंह, चौधरी (जिला बदायूं—पश्चिम)
बर्मन, श्री उपेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बरुआ, श्री देवकान्त (नौगांव)
बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)
बसु, श्री अ० क० (उत्तर बंगाल)
बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)
बहादुर सिंह, श्री (फिरोजपुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बागडी, श्री मगन लाल (महासमुंद)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर झुंझनू—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ)
बालकृष्णन, श्री स० चि० (इरोड—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालसुब्राहण्यम, श्री स० (मदुरे)
बाल्मीकी, श्री कन्हैया लाल (जिला बुलंदशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तमकुर)
बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बीरबल सिंह, श्री (जिला जौनपुर—पूर्व)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा पश्चिम)
ब्रुच्चिकोटय्या, श्री सनक (मसुलीपट्टनम्)
बूवराघस्वामी, श्री वे० (पैराम्बलूर)
बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)
बैरो, श्री ए० ज० था० (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
बोगावत, श्री उ० रा० (अहमदनगर—दक्षिण)
बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई माउराव (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बोस, श्री (मानभूम—उत्तर)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया पूर्व)
ब्रह्मचौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

(भ)

भक्त दर्शन, श्री (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व)
भगत, श्री ब० रा० (पटना व शाहाबाद)
भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवन (बुलडाना-अकोला—रक्षित—अनुसूतिच जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्रशेखर (भढ़ौच)
भवनजी अ० खीमजी, श्री (कच्छ–पश्चिम)
भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालोर)
भार्गव, पण्डित ठाकुरदास (गुड़गांव)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारीलाल (अजमेर––दक्षिण)
भारती, श्री गोस्वामी राजा सहदेव (यवतमाल)
भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)
भीखाभाई, श्री (बांसवाड़ा-डुंगरपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
भौंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नगिरी–– उत्तर)

(म)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (दक्षिण कनड़––उत्तर)
मसुरिया दीन, श्री (जिला इलाहाबाद––पूर्व व जिला जौनपुर––पश्चिम––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मसूदी, मोलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)
महता, श्री बलवन्तसिंह (उदयपुर)
महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)
महोदय, श्री बैजनाथ (निमार)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
माझी, श्री चेतन (मानभूम दक्षिण व धालभूम––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)
मात्तन, श्री (तिरुवल्ला)
मादियागौडा, श्री (बंगलौर––दक्षिण)
मायदेव, श्रीमती इन्दिरा अ० (पूना––दक्षिण)
मालवीय, श्री केशव देव (जिला गोंडा––पूर्व व जिला बस्ती––पश्चिम)
मालवीय, श्री मोतीलाल (छत्तरपुर-दतिया-टीकमगढ़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री भगुनन्दु (शाजापुर-राजगढ़––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित चतुरनारायण (रायसेन)
मावलंकर, श्रीमती सुशीला (अहमदाबाद)
मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर उत्तर-पश्चिम)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (जिला बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)
मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)
मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)
मिश्र, श्री विशेश्वर (गया उत्तर)
मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (दरभंगा उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (जिला देवरिया--दक्षिण)
मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर--उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्रनाथ (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व)
मुक्णे, श्री य० मा० (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वेल्लूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मुदलियार, श्री चि० रामस्वामी (कुम्बकोणम)
मुनिस्वामी, श्री (तिंडीवनम)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वान्दिवाश)
मुरली मनोहर, श्री (जिला बलिया--पूर्व)
मुरारका, श्री राधेश्याम राम कुमार (गंगानगर-झुंझनू)
मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्निया--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मुसाफिर, श्री गुरुमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन श्री अहमद, (हैदराबाद नगर)
मूर्त्ति, श्री ब० स० (एलुरु)
मेनन, श्री दामोदर (कोजिकोडे)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री जसवन्तराज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपाल जी (गोहिलवाड़)
मैत्र, श्री मोहित कुमार (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम)
मैथ्यू, श्री (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी नी (त्रिवेन्द्रम्)
मोरे, श्री कृ० ल० (कोल्हापुर व सतारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शांताराम (शोलापुर)

रघरामैय्या, श्री कोत्ता (तेनालि)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला बनारस--मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (जिला एटा--उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं--पूर्व)
रघुवीर सिंह, चौधरी (जिला आगरा--पूर्व)
रज़मी, श्री सयदुल्ला खां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सीधी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफ्जुर (जिला मुरादाबाद--मध्य)
राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
राघवाचारी, श्री (पेनुकोंडा)
राघवैया, श्री पशुपित वैंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री न० (मैसूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

राजबहादुर, श्री (जयपुर-सवाई माधोपुर)
राजभोज, श्री पा० ना० (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भूसावल)
रामकृष्ण, श्री (महेन्द्रगढ़)
रामचन्द, डा० दो० (वेल्लोर)
राम दास, श्री (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह, बाबू (हजारी बाग पश्चिम)
रामशंकर लाल, श्री (जिला बस्ती—मध्य-पूर्व व जिला गोरखपुर—पश्चिम)
राम शरण, श्री (जिला मुरादाबाद—पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री म० (पार्वतीपुरम)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहबाद—दक्षिण)
रामस्वामी, श्री म० दो० (अरुपुक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्गा)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिण-पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्व नाथ (जिला देवरिया—पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलुबेरया)
राव, श्री काडला गोपाल (गुडिवाडा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजमुंद्री—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंदू सुब्बा (एलुरु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राव, श्री त० व० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पो० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)
राव, श्री बो० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री वें० शिवा (दक्षिण कनड़—दक्षिण)
राव, श्री रायसम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० चे० वें० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, बिशप जान (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (जिल मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम—रक्षित अनुसूचित जातियां)
रे, श्री बीरकिशोर (कटक)
रेड्डी, श्री जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बे० रामचन्द्र (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेडडी, श्री ईश्वर (कड़पा)
रेडडी, श्री माधव (आदिलाबाद)

(ल)

लंका सुन्दरम, डा० (विशाखापटनम्)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लल्लनजी, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर पश्चिम)
लाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर-लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां—रक्षित अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री न० मा० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (जिला जालोन व जिला इटावा—पश्चिम व जिला झांसी—उत्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

(व)

वर्मा, श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व जिला फरुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री वि० बि० (चम्पारन उत्तर)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (टोंक)
वर्मा, श्री राम जी (जिला देवरिया—पूर्व)
वल्लाथसस, श्री क० मु० (पुदुकोटै)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)
विल्सन, श्री ज० न० (जिला मिर्जापुर व जिला बनारस—पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वो० (मयूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैंकटरामन् श्री र० (तंजोर)
वेलायुधन, श्री र० (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री कू० टु० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

(श)

शंकरपाडियन्, श्री त० मा० (शंकरनायिनारकोविल)
शकुन्तला नायर, श्रीमती (जिला गोंडा—पश्चिम)
शर्मा, पंडित कृष्णचन्द्र (जिला मेरठ—दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशी राम (जिला मेरठ—पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (होशियारपुर)
शर्मा, श्री नन्दलाल (सीकर)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना—भिंड)
शास्त्री, श्री राजा राम (जिला कानपुर—मध्य)
शाह, हर हाइनस राजमाता कमलेन्दुमति (जिला गढ़वाल—पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर)
शाह, श्री चिमनलाल चाकूभाई गोहिलवाड़—सोरठ)

शाह, श्री रायचन्दभाई न० (छिंदवाड़ा)
शिव, डा० गंगाधर (चितूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवतीचरण (दुर्ग-बस्तर)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीमन्नारायण, श्री (वर्धा)

(स)

संगण्णा, श्री (रायगढ़ फूलबनी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहनलाल (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (जिला गोरखपुर—उत्तर)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (जिला बरेली—दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेन्द्रनाथ (गौहाटी)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलघाट—जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साहू, श्री भागवत (बालासौर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्री चन्द (जिला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर-सवाई माधोपुर)
सिंह, श्री चंडिकेश्वर शरणसिंहजू (सरगुजारायगढ़)
सिंह, श्री झूलन (सारन उत्तर)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (जिला बनारस—पूर्व)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर—उत्तर—पूर्व)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (जिला बहराइच—पूर्व)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर—सदर व जमुई)
सिंह, श्री महेन्द्रनाथ (सारन मध्य)
सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरनगर—उत्तर पश्चिम)
सिंह, श्री राम नगीना (जिला गाजीपुर पूर्व व जिला बलिया—दक्षिण-पश्चिम)
सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)
सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन—पूर्व)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर—पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (गया—पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसाद (जिला गाजीपुर—पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर—दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री ह० (हसन चिकमगूर)
सिन्हा, श्री स० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (पटना—मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारी बाग व रांची)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना—पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारीबाग--पूर्व)
सुन्दरलाल, श्री (जिला सहारनपुर--पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर--उत्तर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्य, श्री चेट्टियार (धर्मपुरी)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजयनगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बेल्लारी)
सुरेशचन्द्र, डा० (औरंगाबाद)
सूर्य प्रसाद, श्री (मुरैना-भिंड--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सेन, श्री फनीगोपाल (पूर्णिया--मध्य)
सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)
सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर--दक्षिण)
सेवल, श्री अ० रा० (चम्बा-सिरमूर)
सय्यद महमूद, डा० (चम्पारन--पूर्व)
सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)
सोमना, श्री न० (कुर्ग)
सोमानी, श्री ग० घ० (नागौर-पाली)
स्नातक, श्री नरदेव (जिला अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
स्वामी, श्री शिवमूर्ती (कुष्टगी)
स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगुल)

(ह)

हंसदा, श्री बैंजमिन (पूर्निया व संथाल परगना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरिमोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित--अनुसूचित जातियां)
हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर-झाड़ग्राम--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला-भटिंडा)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमब्रोम, श्री लाल (संथाल परगना व हजारी बाग--रक्षित--अनुसूचित जादिम जातियां)
हेम राज, श्री (कांगड़ा)
हैदर हुसैन, चौधरी (जिला गोंडा--उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री राघवाचारी
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री अ० म० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगिल
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री देवकांत बरुआ
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री ब० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देव कान्त बरुआ
श्री वैंकटरामन्
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम
श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल
श्री अ० क० गोपालन
श्री कृपालानी
श्री शं० शो० मोरे
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री नेमि शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
ठा० लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर (सभापति)
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री राम शंकर लाल
श्री चांडक
श्री पैडी लक्ष्मय्या
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री शिवराम रांगो राने
श्री फूलसिंहजी ब० डाबी
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री राम दास
श्री उ० मु० त्रिवेदी
राजमाता कमलेन्दुमति शाह
श्री च० रा० चौधरी
श्री वल्लाथरास
श्री विज्ञेश्वर मिश्र

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

श्री राघवाचारी (सभापति)
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री दामोदर मेंनन
श्री बैरो

श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री मात्तन
सरदार इकबाल सिंह
श्री बसन्तकुमार दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री वैंकटरामन
पंडित लिंगराज मिश्र

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामय्या (सभापति)
श्री शिव दत्त उपाध्याय
श्री अच्युतन
श्री सोहन लाल धुसिया
श्री स० चं० देव
श्री लीलाधर जोशी
श्री बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री राम राज जजवाड़े
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पा० ना० राजभोज
श्री पैं० सुब्बाराव
श्री आनंद चन्द
डा० च० वीं० रामाराव
श्री राम जी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र प० नथवानी
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री न० राचय्या
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री माधव रेड्डी

श्री न० श्रीकान्तन नायर
श्री रायसाम शेषगिरी राव
श्री जय पाल सिंह
श्री रामचन्द्र रेड्डी

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

श्री नि० चं० चटर्जी (सभापति)
श्री सैं० वे० रामस्वामी
श्री न० म० लिगम्
श्री अ० इब्राहीम
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री हेम राज
श्री ह० सिद्धनंजप्पा
डा० अ० कृष्णस्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता (सभापति)
श्री ब० स० मूर्त्ति
श्रीमती खोंगमन
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री चांडक
श्री वैंकटेशनारायण तिवारी
श्री सतीशचन्द्र सामन्त
श्री रावबेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री म० र० कृष्ण
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री पं० सुब्बा राव
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
पंडित द्वारका नाथ तिवारी
श्री वै० रा० नरसिंहन्
श्री रघुवीर सहाय
श्री अब्दुस्सत्तार
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

श्री राचय्या
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्री मंगल गिरि नाना दास
श्री त० ब० विट्ठल राव
श्री गाडलिंगन गौड़
श्री जसवन्त राज मेहता
श्री बैरो
श्री चोईथराम परताबराय गिडवानी

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री राघवाचारी
श्री ब० गो० मेहता
श्री व० बा० गांधी
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री कोत्ता रघुरामय्या
श्री आल्तेकर
श्री मल्लय्या
श्री अ० क० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री कृपालानी
श्री उमाचरण पटनायक
डा० अ० कृष्णस्वामी

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्री जार्ज थामस कौट्टकपल्ली
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री न० सोमना
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र

श्री गोविन्दस्वामी काचिरायर
श्री राज चन्द्र सेन
श्री आनन्द नम्बियार
श्री म० शि० गु पादस्वामी

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्तों संबन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह (सभापति)
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री उ० श्री० मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन नाथ कोले
श्री गो० ह० देशपाण्डे
श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री पुन्नूस
श्री अशोक मेहता

राज्य-सभा

श्री हि० चं० दासप्पा
श्री नारायना
श्री रा० प्र० न० सिन्हा
श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
श्री धागे

पुस्तकालय समिति

लोक-सभा

सरदार हुक्म सिंह (सभापति)
श्री म० ल० द्विवेदी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री मो० दि० जोशी
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री वे० न० तिवारी

राज्य सभा

प्रोफेसर रा० घा० सिंह दिनकर
श्रीमती लीलावती मुंशी
श्री थयोडोर ोडरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री व० बा० गांधी (सभापति)
श्री कृ० ग० देशमुख
श्री ड० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री च० द० पांडे
श्री कमल कुमार बसु
श्री बूवराघस्वामी
श्री जयपाल सिंह
श्री निवारण चन्द्र लाश्कर
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
श्री राधे लाल व्यास
श्री मातन
आचार्य कृपालानी
श्रीमती शकुंतला नायर

राज्य-सभा

श्री ग० रंगा
श्री र० म० देशमुख
श्रीमती पुष्पलता दास
श्री श्यामधर मिश्र
श्री तनखा
श्री घोष
श्री वल्लभ राव

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री केशव अय्यंगार
श्री शिवराम रांगो राने
श्री घमण्डी लाल बंसल
श्री वृशी राम शर्मा
श्री कोता रघुरामय्या
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
डा० जयसूर्य
श्री नि० चं० चटर्जी
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री कमलकुमार बसु
श्री राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—
श्री जवाहरलाल नेहरू
शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
गृह-कार्य मंत्री—श्री गोविंद बल्लभ पन्त
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री मुरार जी देसाई
रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृतकौर
योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री—श्री गुलजारी लाल नंदा
वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री —श्री ति० त० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री च० चं० विश्वास
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह
उत्पादन मंत्री—श्री क० च० रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री अजीत प्रसाद जैन
श्रम मंत्री—श्री खंडू भाई देसाई
बिना विभाग के मंत्री—श्री कृष्ण मेनन

मंत्रिमण्डल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
प्रतिरक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी
सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० केसकर
व्यापार मंत्री—श्री करमरकर
कृषि मंत्री—डा० पंजाब राव श० देशमुख
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सैयद महमूद
विधि कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर
प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री के० दे० मालवीय
राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री म० च० शाह
राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुह
पुनर्वास मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना
उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
संचार मंत्री—श्री राज बहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री—श्री दातार
भारी उद्योग मंत्री—श्री मनहरलाल मनसुखलाल शाह
सामुदायिक विकास मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सु० सिं० मजीठिया
श्रम उपमंत्री —श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री—श्री ज० कृ० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर
वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्री अनिला कुमार चन्दा
खाद्य उपमंत्री—श्री मो० वे० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्यामनन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री—डा० का० ला० श्रीमाली
वित्त उपमंत्री —श्री बली राम भगत
शिक्षा उपमंत्री—डा० मनमोहन दास
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री की सभासचिव—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जोगेन्द्र नाथ हजारिका
उत्पादन मंत्री के सभासचिव—श्री राजाराम गिरिधर लाल दुबे
वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव—श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभासचिव—श्री राजगोपालन
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव—श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १] भारत की प्रथम संसद् के पन्द्रहवें सत्र का प्रथम दिवस [संख्या १

लोक-सभा

सोमवार, १८ मार्च, १९५७

लोक-सभा बारह बज कर १७ मिनट पर समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय (श्री म० अ० अय्यंगार) पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं थे : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

कुछ सदस्यों का निधन

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे, अपने चार मित्रों, श्री श्याम नन्दन सहाय, डा० माणिकचन्द जाटववीर, श्री बी० जी० खेर तथा डा० आर० यू० सिंह के निधन की सभा को सूचना करते हुये बड़ा खेद है।

श्री श्याम नन्दन सहाय का निधन १४ मार्च, १९५० को ५६ वर्ष की आयु में मुज़फ्फरपुर में हुआ। वह बिहार के मुज़फ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से सभा के सदस्य थे। वह भारत की संविधान सभा तथा अस्थायी संसद् के भी सदस्य थे।

डा० माणिक चन्द जाटववीर का २९ दिसम्बर, १९५६ का आगरा में निधन हुआ। वह राजस्थान के रक्षित अनुसूचित जातियों के निर्वाचन क्षेत्र से सभा के सदस्य थे।

श्री बी० जी० खेर का ८ मार्च, १९५७ को ६८ वर्ष की आयु में पूना में निधन हुआ। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने लन्दन में भारत के उच्चायुक्त और राजकीय भाषा आयोग के सभापति के रूप में देश की सेवा की थी। उनके निधन से भारत ने अपना एक सपूत, विद्वान, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक खो दिया।

डा० आर० यू० सिंह का निधन १२ जनवरी, १९५७ को ५२ वर्ष की आयु में लखनऊ में हुआ। वह भारत की संविधान सभा (विधायिनी) तथा भारत की अस्थायी संविधान सभा के सदस्य थे।

हम इन मित्रों के निधन पर शोक प्रकट करते हैं; मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके परिवारों को सान्त्वना देने में सभा मेरा साथ देगी। कृपा करके सदस्य शोक प्रकट करने के लिये एक मिनट खड़े रहें।

इसके पश्चात् सदस्य सम्मान प्रकट करने के लिए एक मिनट तक मौन खड़े रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : श्रीमान्, मैं २२ दिसम्बर, १९५६ को लोक-सभा को दी गई सूचना के बाद गत सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्न-लिखित १० विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९५६
(२) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, १९५६
(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९५६
(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक, १९५६
(५) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५६
(६) फरीदाबाद विकास निगम विधेयक, १९५६
(७) गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक, १९५६
(८) दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक, १९५६
(९) दिल्ली (निर्माणकार्यों का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक, १९५६
(१०) पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक, १९५६

मैं, २२ दिसम्बर, १९५६ को लोक-सभा को दी गई सूचना के बाद गत सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित १७ विधेयकों की, राज्य सभा के सचिव द्वारा यथाविधि प्रमाणित, प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकारी) विधेयक, १९५६
(२) हैदराबाद का राज्य बैंक विधेयक, १९५६
(३) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५६
(४) मार्ग परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, १९५६
(५) लोक प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९५६
(६) बाट तथा माप मान विधेयक, १९५६
(७) निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६
(८) प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक १९५६
(९) तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक, १९५६
(१०) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९५६
(११) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५६
(१२) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५६
(१३) विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक, १९५६
(१४) भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक, १९५६
(१५) प्रादेशिक परिषद् विधेयक, १९५६
(१६) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक, १९५६
(१७) महिला तथा बाल संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, १९५६

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रपति का अभिभाषण

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं, १८ मार्च, १९५७ को एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति :—

संसद के सदस्यगण,

आज मैं पूरे एक वर्ष के बाद आपके सामने अभिभाषण कर रहा हूं । यह वर्ष हमारे देश के लिये और विश्व के लिये महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण रहा है । हम ऐसे समय एकत्र हुये हैं जब कि देश भर में आम चुनाव चल रहे हैं और इनके परिणामस्वरूप नई संसद् की स्थापना होने जा रही है । इस संसद् के सम्मुख कुछ कहने का मेरे लिये यह अन्तिम अवसर है । अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में आप में से कुछ नई संसद् में भी आयेंगे और संभवतः कुछ सदस्यगण नई संसद् में नहीं भी आयेंगे । आपका कार्यक्षेत्र कहीं भी हो, मुझे इसमें सन्देह नहीं कि जो कुछ भी आप करेंगे वह इस देश के निर्माण-सम्बन्धी महान कार्य के हित में होगा । मैं आपके कार्य में सफलता और आपकी सम्पन्नता की कामना करता हूं ।

पिछली बार जब मैं ने आपके सामने अभिभाषण दिया था, तब से संसार ने, विशेषकर मध्यपूर्व ने, तनाव की स्थिति का सामना किया है और एक ऐसा संघर्ष भी देखा है जिस का अन्तिम रूप मिस्र पर आक्रमण हुआ । संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संसार के जनमत के फलस्वरूप आक्रमणकारी सेनाओं को मिस्र से हटा लिया गया, किन्तु इस संघर्ष से मिस्र को भारी क्षति ही नहीं उठानी पड़ी बल्कि ऐसे समय जब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा था तनाव में वृद्धि हुई । इन परिस्थितियों के कारण बहुत सी समस्यायें पैदा हो गई हैं जिन्हें अब सुलझाना होगा । इन समस्याओं से हमारा भी गहरा सम्बन्ध है क्योंकि विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारी दिलचस्पी है और हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है । इसलिये इन कठिनाइयों को सुलझाने में हमने योगदान देने की चेष्टा की । इस प्रकार हमारे देश ने अपने ऊपर भारी दायित्व लिये हैं जिन में संयुक्त राष्ट्र आपत्कालिक सेना में सम्मिलित होना भी शामिल है । यह सेना संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के निर्णय के अनुसार और आक्रमणकारी सेनाओं के वापसी-सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत संगठित की गई थी ।

मध्य यूरोप में हंगरी में घटने वाली घटनाओं से हमें बहुत घबराहट हुई और दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी हमने विदेशी सेनाओं की वापसी के लिये और राष्ट्रीय आन्दोलनों के दमन के लिये उनके प्रयोग के विरुद्ध आवाज़ उठाई । इसके साथ ही विभिन्न अवसरों पर इस समस्या का हल ढूंढने में हमने भरसक सहायता करने की चेष्टा की और हंगरी के लोगों की लाक्षणिक सहायता के रूप में उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की ।

विश्व-शान्ति और सहयोग की संभावनाओं पर मध्यपूर्व की स्थिति की परछाईं पड़ी है । उधर यातायात के लिये स्वेज नहर का खुलना बाकी रहता है । इस क्षेत्र में सैनिक संधियों की नीति ने राष्ट्रों को आपस में बांट दिया है और एशिया में अधिकाधिक युद्ध सामग्री जुटाई जाने लगी है । फिर भी यह देख कर कि इस क्षेत्र में संघर्ष का और अधिक विस्तार नहीं हुआ हमें सन्तुष्ट होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेश, गोल्ड कोस्ट और इसके साथ अंग्रेजी शासन के अधीन टोगोलैंड का प्रदेश अब घाना नामक स्वतन्त्र और सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में उदित हुआ है, इस बात से भारत सरकार और भारत की जनता को बहुत खुशी हुई है ।

हम संयुक्तराष्ट्र में सूडान, मोरक्को, ट्यूनीसिया, जापान तथा घाना के प्रवेश का स्वागत करते हैं । मंगोलिया के बराबर बाहर रहने और चीन के अधिकृत प्रतिनिधियों को संयुक्तराष्ट्र में स्थान न दिये जाने के कारण हमें क्षोभ होता है और इस स्थिति का प्रतिकार करने में हम बराबर प्रयत्नशील हैं ।

हम आशा करते हैं कि मलाया शीघ्र ही एक स्वतन्त्र देश बन जायेगा और ऐसा होने से उपनिवेशवाद का प्रभाव और कम हो जायेगा और एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता की सीमायें विस्तृत हो सकेंगी ।

संयुक्तराष्ट्र की साधारण सभा के ११वें सत्र में मध्यपूर्व, अल्जीरिया और साइप्रस-सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाले विवादों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने प्रभावोत्पादक और उपयोगी योगदान दिया है और इन समस्याओं का शान्तिपूर्ण हल ढूंढने और कार्यप्रणाली तय करने में सहायता दी है । निःशस्त्रीकरण का कार्य आगे नहीं बढ़ा है किन्तु संयुक्तराष्ट्र ने एकमत से अपने प्रयत्न जारी रखने और भारत के सुझाव समेत सभी सुझावों पर विचार करने का निश्चय किया है । भारत सरकार को खुशी है कि वह इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में सहायक हो सकी ।

हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेन्सी के प्रारम्भिक आयोग का सदस्य था । इसलिये हमें इस बात का सन्तोष है कि इस एजेन्सी की अब स्थापना हो गई है । हमारी यह कामना तथा आशा है कि अणुशक्ति का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों में होगा और विध्वंसक कार्यों में इसका प्रयोग बन्द हो सकेगा ।

अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की यात्रा का मुझे सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ । उपराष्ट्रपति ने महामहिम नेपाल नरेश महेन्द्र वीर विक्रम शाह के राज्याभिषेक के अवसर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था । आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में नेपाल सरकार तथा वहां की जनता के प्रयत्नों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हमें खुशी है कि हम उनकी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने में टेकनिकल तथा आर्थिक सहायता दे सके ।

भारत में बुद्ध जयन्ती-सम्बन्धी समारोहों के कारण हमें अपने देश में दलाई लामा तथा पंचनलामा और संसार के विभिन्न भागों के बौद्ध नेताओं के स्वागत का सुअवसर मिला । इस समारोह ने हमें और संसार को भगवान बुद्ध के शान्ति तथा करुणा के संदेश का फिर से स्मरण कराया । आज विश्व को इस संदेश की अत्यधिक आवश्यकता है ।

अपने देश में अनेक सम्मानित आगन्तुकों का स्वागत करने और उनका परम्परागत आतिथ्य करने का भारत सरकार और इस देश के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ । हमारे इन सम्मानित अतिथियों में महामहिम ईरान के शहनशाह तथा साम्राज्ञी, महामहिम इथोपिया के सम्राट, सीरिया के राष्ट्रपति, शुक्री-अल-कुवतली, कम्बोडिया के राजकुमार परमश्रेष्ठ नरोदम सिहनूक, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, नेपाल और डेन्मार्क के प्रधान मंत्री गण, जर्मनी के संघीय गणतंत्र के उपचांसलर, सोवियत संघ के उपप्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री, सूडान के उपप्रधान मंत्री और अमरीका, फ्रांस तथा ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री शामिल हैं । १९५६ में संयुक्तराष्ट्र की साधारण

सभा के अध्यक्ष, डा० जोज़ माज़ा और संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री भी हमारे सम्मानित अतिथियों में शामिल थे। बर्मा, चीन, चेकोस्लोवाकिया, डेन्मार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नौर्वे, पौलेंड स्वीडन, सीरिया और यूगेंडा से संसदीय, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा सद्भावना-सम्बन्धी प्रतिनिधि मण्डल भी हमारे देश में आये।

भारतीय उपराष्ट्रपति ने सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, बल्गारिया, पूर्वी अफ्रीका, केन्द्रीय अफ्रीकी संघ, इंडोनेशिया तथा जापान की यात्रा की और सभी देशों में उन का हार्दिक स्वागत हुआ।

राष्ट्रपति आइजनहावर के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से तथा अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मंत्री में विचार-विनिमय के फलस्वरूप हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच अधिक सद्भावना हुई तथा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिली। मेरी सरकार को विश्वास है कि इसके द्वारा पारस्परिक सम्मान तथा सद्भावना के आधार पर दोनों देशों में अधिकाधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा।

कनाडा के प्रधान मंत्री, श्री लुई सेंट लारां के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने कनाडा की यात्रा की। यह यात्रा कनाडा और हमारे देश के बीच सुखद सम्बन्धों को और दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। हमारे दोनों देशों में सदा निकट के और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं।

मेरी सरकार को खेद है कि दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति की समस्या को सुलझाने और अफ्रीकियों तथा भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध भेदभाव की नीति को दूर करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी। मेरी सरकार के सुझाव पर संयुक्तराष्ट्र संघ ने एक बार फिर इस समस्या पर विचार किया। बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकालने के लिये संयुक्तराष्ट्र ने सम्बद्ध सरकारों से फिर अपील की है। पहले की तरह भारत सरकार ने फिर स्वेच्छा से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

मेरी सरकार को हार्दिक खेद है कि गोआ अभी भी पुर्तगाली सरकार की औपनिवेशिक चौकी के रूप में बना है और वहां प्रत्येक प्रकार की स्वाधीनता का दमन किया जा रहा है और आर्थिक उन्नति अवरुद्ध है। मेरी सरकार की यह दृढ़ नीति है कि गोआ को औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त होना चाहिये और भारत की स्वाधीनता में साझेदार होना चाहिये।

मेरी सरकार को खेद है कि पाकिस्तान से इसके सम्बन्ध में बराबर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और पाकिस्तान में भारत-विरोधी और जहाद के आन्दोलनों में कुछ भी कमी नहीं आई। भारत सरकार और देश के लोगों का दृष्टिकोण यह है कि हम घृणा का उत्तर घृणा से नहीं देंगे, किन्तु अपने न्यायोचित हितों तथा देश की रक्षा करते हुये दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने में प्रयत्नशील रहें। पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोगों की निकासी गत वर्ष बराबर होती रही और इस समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। कुल मिला कर पूर्वी पाकिस्तान से ४० लाख से ऊपर लोग भारत आ चुके हैं और इन लोगों के आ जा से हमारे देश पर, विशेष कर पश्चिम बंगाल की सरकार पर, भारी बोझ पड़ा है।

पाकिस्तान सरकार के आवेदन पर संयुक्तराष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में काश्मीर के मामले पर विचार किया गया। भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट और निर्विवाद शब्दों में व्यक्त की गई है, अर्थात् अक्तूबर, १९४७ से जम्मू और काश्मीर राज्य भारत संघ के दूसरे राज्यों की तरह देश का एक वैधानिक भाग रहा है और अब भी है। काश्मीर में जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण,

अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्तराष्ट्र द्वारा पास किये गये प्रस्तावों में निहित समझौतों की अवहेलना करके, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण और भारतीय संघ के भूभाग पर अवध रूप से अधिकार कर लेना है। सुरक्षा परिषद् ने गत मास अपने तत्कालीन सभापति को भारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करने के लिये इन देशों में भेजने का निश्चय किया। अपनी साधारण नीति के अनुसार भारत सरकार ने स्वीडन निवासी श्री यारिंग का, जिनके शीघ्र ही यहां आने की आशा है, स्वागत तथा उनका आतिथ्य-सत्कार करने की सहमति दी है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, जिसमें पहले सुधार के लक्षण दृष्टिगोचार होते थे, अब कम आशाजनक दिखाई देती है। फिर भी हमारे देश के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बराबर बने हैं, यद्यपि विश्व की स्थिति में बिगाड़ का पूर्व के देशों के शान्तिपूर्ण सम्बन्धों, परस्पर सहयोग तथा आर्थिक विकास पर दूषित प्रभाव पड़ा है। शक्ति के संतुलन पर आधारित सैनिक गुटों की नीति के कारण विशेष रूप से एशिया में तनाव बढ़ा है, शस्त्रास्त्रों में वृद्धि हुई है और शीत-युद्ध के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मेरी सरकार की बराबर यह दृढ़ धारणा है कि शान्तिपूर्ण बातचीत और पारस्परिक समझौतों द्वारा ही विश्व की समस्याओं को ठीक और आशाजनक ढंग से सुलझाया जा सकता है।

गत वर्ष राज्यों के पुनर्गठन का कार्य समाप्त कर लिया गया और यह कार्य, जिसके कारण देश के कुछ भागों में दुर्भाग्यवश भावातिरेक के प्रदर्शन हुये, अब सम्पन्न हो चुका है। गत वर्ष ही पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि सफलतापूर्वक समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना को चालू किया गया। इस योजना में खाद्यों के उत्पादन पर पहले की तरह जोर दिया गया है किन्तु सके साथ ही देश के औद्योगिक विकास, विशेषकर बड़े उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया है। सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का देहाती इलाकों में आश्चर्यजनक तेजी से विस्तार हुआ है। इन सेवाओं के अन्तर्गत अब दो लाख बीस हजार गांव और १२ करोड़ ९० लाख जनसंख्या आती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में छोटे और घरेलू उद्योगों की उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है।

खनिज पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप तेल की आशाजनक खोज हुई है और राजस्थान तथा बिहार में यूरेनियम धातु का पता लगा है। थोरियम और यूरेनियम की भारी मात्रा में उपलब्धि के कारण इन धातुओं के हमारे ज्ञात साधन दुगने से भी अधिक हो गये हैं। हमारे अणुशक्ति विभाग ने भी प्रगति की है और भारत का पहला अणु रिएक्टर गत वर्ष चालू हो गया। सोवियत संघ से बाहर एशिया में स्थापित होने वाला यह पहला अणु रिएक्टर है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष समाप्त होने वाला है। विगत वर्ष में कुछ कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं। कुछ चीजों के भाव ऊंचे चढ़े हैं और विदेशी विनिमय के हमारे साधन संकुचित हो गये हैं। यह गतिविधि देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में बढ़ते ये उत्पादन की परिचायक है। देश में धन लगाने पर ज़ोर और अधिक उपभोक्ता पदार्थों की अधिक मांग त्वरित विकास की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है और एक हद तक इस प्रकार दबाव इस बात का द्योतक है कि विकास के हित में देश के साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। किन्तु हमें सावधान रहना चाहिये कि यह दबाव अधिक न होने पावे। भावों के चढ़ाव को रोकने के लिये और विदेशी विनिमय के साधनों के ह्रास की रोकथाम के लिये सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये दृढ़प्रतिज्ञ है।

इस दिशा में सरकार के सामने प्रमुख समस्या विदेशी विनिमय के साधनों की सुरक्षा तथा वृद्धि की है। जिस देश में मशीन तैयार करने की काफी क्षमता न हो, उसे औद्योगीकरण के लिये आवश्यक रूप से विदेशी विनिमय अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। विदेशी विनिमय पूंजी में सहसा अधिक वृद्धि संभव नहीं, इसलिये देश के साधनों के विकास के हित में आरम्भ में विदेशी सहायता आवश्यक होती है। फिर भी अधिकाधिक विदेशी विनिमय उपार्जित करना और आयात में मितव्ययता से काम लेना प्रत्येक देश के लिये अनिवार्य है। अमरीकी सरकार से हाल में ही जो समझौता हमने किया है और जिसके अनुसार हमें विपुल मात्रा में गेहूं, चावल और रूई उधार मिल सकेगा, उससे हमें चढ़ते हुये भावों को रोकने और अपनी योजना को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि विश्व बैंक सरीखी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा मित्र देशों से भी हमें काफी वित्तीय सहायता मिलेगी। फिर भी यह निर्विवाद है कि विकास के कामों के लिये आवश्यक साधनों को हमें अपने बल पर ही जुटाना होगा और इसके लिये उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से हमें जनता को संगठित करना होगा।

दूसरी योजना में औद्योगीकरण और आर्थिक व्यवस्था के विविधीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिये खाद्य, कपड़ा और उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक कच्चे माल सम्बन्धी आधारभत पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इस योजना में अधिक धन लगाने पर भी जोर दिया गया है और रोजगार के साधनों का विस्तार इसके प्रमुख उद्देश्यों में एक है। रोजगार के बढ़ाने और धन लगाने से जो आय होगी वह अधिकतर खुराक और कपड़े पर खर्च होगी। इसलिये इन दोनों चीजों के उत्पादन में वृद्धि द्वारा ही योजना को, मुद्राबाहुल्य का संकट उपस्थित किये बिना, आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि विकास के क्षेत्र में हमारे प्रयासों का प्रमुख आधार है। इस काम के लिये जनता के प्रत्येक वर्ग के लोगों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

१९५७–५८ वित्तीय वर्ष के लिये भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सम्मुख रखे जायेंगे जिससे कि आप इस पर अपना मत दे कर आलोच्य वर्ष के एक भाग के लिये खर्च करने की अनुमति दे सकें। इसके अतिरिक्त केरल राज्य के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के अंक आपका अनुमोदन प्राप्त करने के हेतु आपके सामने रखे जायेंगे।

संसद का यह सत्र स्वल्प होगा और इसमें कोई बड़ा अथवा विवादास्पद विधान हाथ में नहीं लिया जायेगा। कुछ अध्यादेश जो विगत सत्र के बाद जारी किये गये थे संसद् के समक्ष रखे जायेंगे।

पांच वर्ष हुये इस महान देश के मतदाताओं की प्रतिनिधि स्वरूप यह संसद् चुनी गई थी और इसने देश के कल्याण तथा प्रगति के लिये और विश्व में सहयोग तथा शान्ति-स्थापन के लिये यत्न किया है। इस यत्न का सुखद फल हुआ है जिसे हम देश में चारों ओर देखते हैं। जो सफलतायें आपने इस अवधि में प्राप्त की हैं उन पर, संसद् के सदस्यगण, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। परन्तु हम में से कोई भी निश्चित हो कर बैठ नहीं सकता क्योंकि नवीन और सम्पन्न भारत के निर्माण की कहानी सदा घटित होती रहेगी, जिससे इस देश की जनता को सुख प्राप्त होगा और विश्व-शान्ति तथा सहयोग के पक्ष को बल मिलेगा।

मैं आशा करता हूं कि भगवान बुद्ध का सन्देश, जिनकी जयन्ती हमने हाल ही में मनाई थी, तथा हमारे राष्ट्रपिता की आत्मा हमें सत्प्रेरणा देती रहेगी।

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की खाद्य स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी है, जसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विद्यमान अकाल की दशाओं के सम्बन्ध में विचार करने को कहा गया है। परन्तु क्या हम इस मामले को अविलम्बनीय कहेंगे ? वहां तो तीन वर्ष से ही ऐसा है।

†**श्री शि० ला० सक्सेना** (जिला गोरखपुर–उत्तर) : किसानों का बुरा हाल हो रहा है और चुनाव के दिनों में मैं ने देखा कि लोग चार पांच दिन तक भूखों मरते रहे परन्तु उनके लिये कुछ न किया गया। उनके लिये कुछ किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वहां राज्य सरकार नहीं है ? माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : आपने ठीक कहा कि खाद्यान्न देने का उत्तर-दायित्व राज्य सरकार का है। भारत सरकार राज्य को अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न दे रही है। मुझे ठीक जानकारी तो नहीं, परन्तु सामान्यत: स्थिति यह है कि राज्य सरकार काफी मात्रा में खाद्यान्न ले रही है और काफी ऐसी दुकानें खोली गई हैं, जहां सस्ते दामों पर अनाज दिया जाता है ताकि सभी लोग उसको खरीद सकें। हमें लोगों के भूखे मरने की कोई सूचना नहीं मिली है। अब रबी फसल के कारण स्थिति काफी सुधर गई है। कीमतें भी ठीक हो गयी हैं। न तो इस मामले में अविलम्बनीय बात है और न ही माननीय सदस्य द्वारा बताई गई बातें सत्य हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार को जिसकी इस मामले में जिम्मेदारी है, काफी अनाज दे दिया गया है। यह मामला तीन वर्ष से चल रहा है और यदि अब भी कठिनाई का हल नहीं हुआ तो मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें मिल कर उसे हल करेंगी। परन्तु मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं समझता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं, अचल सम्पत्ति का अधि-ग्रहण और अर्जन अधिनियम १९५२ की धारा १७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत १२ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या ई० वी० ११(८)।५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस०–२।५७]**

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

†**सूचना और प्रसारण मंत्री** (डा० केसकर) : मैं, संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबन्धों के अधीन, चौदहवें सत्र १९५६ के अवसान के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विदेशी व्यक्ति विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ का संख्या १)

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस०–१७।५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ का संख्या २)
[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये । संख्या एस०–१८/५७]

सिनेमेटोग्राफ (प्रावेक्षण) नियमों के संशोधन

†**डा० केसकर** : मैं, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन सिनेमेटोग्राफ (प्रावेक्षण) नियम १९५१ में कुछ और आगे संशोधन करने वाली २४ नवम्बर, १९५६ के एस० आर० ओ० संख्या २७८५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०–३/५७]**

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं, भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की १९५३–५४ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०–४/५७]**

आय पर कराधान (जांच आयोग) अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: मैं, आय पर कराधान (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ की धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन २२ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या ९७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०-५/५७]**

सम्पदा शुल्क नियमों के संशोधन

†**श्री म० च० शाह** : मैं, सम्पदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अधीन सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में और आगे संशोधन करने वाली निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) १७ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या ४६/४/१०/५६—ई० डी० ।

(२) ३० जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या २/१८/१८/५३—ई० डी० ।
[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०–६/५७]

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा आपणन राशि)

†**श्री म० च० शाह** : मैं, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा आपणन राशि) नियम, १९५७ की जो १८ फरवरी १९५७ का अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ६४४ में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०—७/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम

†**श्री म० च० शाह** : मैं, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा ३० की उपधारा (३) के अधीन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, १९५७ की एक प्रति, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०-८/५७]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के संशोधन

†**राजस्व और प्रतिरक्षा-व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : मैं, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में और आगे कुछ संशोधन करने वाली सात अधिसूचनाओं की निम्नलिखित एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) १२ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १ सी ई आर/५७।
(२) १२ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या २/५७।
(३) १९ जनवरी, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या २४१, २४३ और २४४।
(४) ९ फरवरी, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ४५०।
(५) २३ फरवरी, १९५७ का एस० आर० ओ० संख्या ५४६।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०-९/५७]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**श्री अ० च० गुह** : मैं, समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अधीन समुद्र-सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५३ द्वारा प्रविष्ट की गयी सीमा-शुल्क सम्बन्धी निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) २२ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १६८।

(२) सीमा-शुल्क ड्राबैक (हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लुइड) नियम, १९५६ को प्रकाशित करने वाली २२ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या १६९। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०-१०/५७]**

केरल राज्य अधिनियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं, केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिनियमों में प्रत्येक की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) केरल व्यवहार न्यायालय अधिनियम, १९५७ (१९५७ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या १)। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०-११।५७]**

(२) विधान सभा (अनर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, १९५७ (१९५७ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या २)। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०-१२/५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रावनकोर-कोचीन लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम के संशोधन

†**श्री दातार** : मैं, संविधान के अनुच्छेद ३२०(५) के उपबन्धों के अन्तर्गत, विनियम की एक प्रति के साथ, दिनांक ३ अगस्त, १९५६ की भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य अधिसूचना संख्या ६ (सी) ५—३५३७४/५५/पी० डी० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जिसमें त्रावनकोर-कोचीन लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५२ में कुछ अग्रेतर संशोधन किये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०—१३/५७]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक १३ दिसम्बर, १९५६ के एस० आर० ओ० संख्या ३०६४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जिसमें बम्बई गेहूं (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५६ में कुछ अग्रेतर संशोधन किये गये हैं **[पुस्तकालय में रखी गयी। दखिये संख्या एस०—१४/५७]**

मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं, मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जिनमें दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ अग्रेतर संशोधन किये गये हैं :—

(१) अधिसूचना संख्या एफ० १२(१५६) ५०—एम टी एण्ड सी ई, दिनांक २७ अक्टूबर, १९५६।

(२) अधिसूचना एफ० १२ (१५५) ५६—एम टी एण्ड सी ई, दिनांक २२ जनवरी, १९५७।

(३) अधिसूचना संख्या एफ० १२(१८)/५३—एम टी एण्ड सी ई, दिनांक २२ जनवरी, १९५७।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस०—१५/५७]

त्रावनकोर-कोचीन मोटरगाड़ी नियम, १९५२ के अन्तर्गत भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन सरकार की अधिसूचनायें

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं, मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार द्वारा जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं, जिनमें त्रावनकोर-कोचीन मोटर गाड़ी नियम, १९५२ में कुछ अग्रेतर संशोधन किये गये हैं :—

(१) अधिसूचना संख्या टी० ४—११८४६/१५/ पी० डब्ल्यू० सी०, दिनांक २६अप्रैल, १९५६ ।

मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज खां]

(२) अधिसूचना संख्या टी ४---५१४६/५४/ पी० डब्ल्यू० सी०, दिनांक १८ जुलाई, १९५६ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०-१६/५७]

लोक-लेखा समिति

बीसवां प्रतिवेदन---खण्ड २---साक्ष्य

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर---उत्तर) : मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (बस विभाग) खण्ड २---साक्ष्य के सम्बन्ध में लोक-लेखा समिति (१९५५-५६) का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सदस्यों द्वारा पद त्याग

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि निम्नलिखित दो सदस्यों ने लोक-सभा के अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये हैं :---

(१) श्री टेकचन्द ने १४ जनवरी, १९५७ से ।

(२) श्री नेसामनी ने १५ फरवरी, १९५७ से ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

विदेशी व्यक्ति विधि (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी व्याख्यात्मक विवरण

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं, श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ८९(२) के अधीन अपेक्षित विदेशी व्यक्ति विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ द्वारा तुरन्त विधि निर्मित करने के कारणों के एक व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

इसके पश्चात्, लोक-सभा मंगलवार, १९ मार्च, १९५७ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १८ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख : १

अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान लोक-सभा के सदस्यों श्री श्यामनन्दन सहाय और डा० जाटववीर, भारत की संविधान-सभा के सदस्य श्री बी० जी० खेर और भारत की संविधान-सभा (विधायनी) तथा भारत की अस्थायी संसद् के सदस्य श्री आर० यू० सिंह के निधन का उल्लेख किया। उसके पश्चात् सदस्यगण सम्मान प्रकट करने के लिये एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २

(१) सचिव ने २२ दिसम्बर, १९५६ को लोक-सभा को दी गई सूचना के बाद गत सत्र में संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखे :—

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(२) संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, १९५६ ।

(३) विनियोग (रेलवे) संख्या ६ विधेयक, १९५६ ।

(४) विनियोग (रेलवे) संख्या ७ विधेयक, १९५६ ।

(५) विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५६ ।

(६) फरीदाबाद विकास निगम विधेयक, १९५६ ।

(७) गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) विधेयक, १९५६ ।

(८) दिल्ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) विधेयक, १९५६ ।

(९) दिल्ली (निर्माण-कार्यों का नियंत्रण) जारी रखना विधेयक, १९५६ ।

(१०) पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक, १९५६ ।

(२) सचिव ने २२ दिसम्बर, १९५६ को लोक-सभा को दी गई सूचना के बाद गत सत्र में संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की, राज्य-सभा के सचिव द्वारा यथाविधि प्रमाणित, प्रतियां भी सभा-पटल पर रखीं :—

(१) मनीपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकारी) विधेयक, १९५६ ।

(२) हैदराबाद का राज्य बैंक विधेयक, १९५६ ।

(३) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९५६ ।

पृष्ठ

(४) मार्ग परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(५) लोक प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९५६ ।

(६) बाट तथा माप मान विधेयक, १९५६ ।

(७) निष्क्रांत सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(८) प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(९) तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक, १९५६ ।

(१०) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(११) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(१२) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, १९५६ ।

(१३) विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक, १९५६ ।

(१४) भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक, १९५६ ।

(१५) प्रादेशिक परिषद् विधेयक, १९५६ ।

(१६) स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक, १९५६ ।

(१७) महिला तथा बाल संस्था (अनुज्ञापन) विधयक, १९५६ ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा-पटल पर रखा गया . . . ३-७

सचिव ने १८ मार्च, १९५७ को संसद् के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक में दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी

स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय ने, खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, श्री शि० ला० सक्सेना के उस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जिसकी उन्होने पूर्व सूचना दी थी और जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न पूर्वी ज़िलों में विद्यमान कथित अकाल की दशाओं के सम्बन्ध में था ८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८-१२

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

१. अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उपधारा (२) के अधीन १२ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या ई० वी० ११(८)/५६ की एक प्रति ।

२. संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(ख) के उपबन्धों के अधीन, चौदहवें सत्र १९५६ के अवसान के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति :

(१) विदेशी व्यक्ति विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ (१९५७ का संख्या १)

(२) भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अध्यादेश, १९५७ (१९५७ का संख्या २)

३. सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन सिनेमेटोग्राफ (प्रावेक्षण) नियम, १९५१ में कुछ और आगे संशोधन करने वाली २४ नवम्बर, १९५६ के एस० आर० ओ० संख्या २७८५ की एक प्रति

४. भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् की १९५३–५४ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

५. आय पर कराधान (जांच आयोग) अधिनियम, १९४७ की धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन २२ दिसम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या ९७ की एक प्रति

६. सम्पदा शुल्क अधिनियम १९५३ की धारा ८५ की उपधारा (३) के अधीन सम्पदा शुल्क नियम, १९५३ में और आगे कुछ संशोधन करने वाली दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित

७. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम १९५३ की धारा १३ की उपधारा (२) के अधीन केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन तथा आपणन राशि) नियम १९५७ की एक प्रति

८. प्रतिभूति संविदा विनियमन, अधिनियम १९५६ की धारा ३० की उपधारा (३) के अधीन प्रतिभूति संविदा विनियम नियम, १९५७ की एक प्रति

९. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में और आगे कुछ संशोधन करने वाली सात अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति

१०. समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अधीन समुद्र सीमा शुल्क संशोधन अधिनियम, १९५३ द्वारा प्रविष्ट की गई सीमा शुल्क सम्बन्धी दो अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति

११. केरल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन निम्नलिखित अधिनियमों की एक एक प्रति :—

(१) केरल व्यवहार न्यायालय अधिनियम, १९५७ (१९५७ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या १)

पृष्ठ

(२) विधान सभा (अनर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम १९५७ (१९५७ का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या २)

१२. संविधान के अनुच्छेद ३२०(५) के उपबन्धों के अधीन त्रावनकोर-कोचीन लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५२ में और आगे कुछ संशोधन करने वाली भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य अधिसूचना की एक प्रति, विनियमों की एक प्रति के साथ

१३. अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा(६) के अधीन बम्बई गेहूं यातायात नियंत्रण आदेश, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाले १३ दिसम्बर, १९५६ के एस० आर० ओ० संख्या ३०६४ की एक प्रति

१४. मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अधीन दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली तीन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक-एक प्रति

१५. मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा(३)के अधीन त्रावनकोर-कोचीन नियम, १९५२ में और आ` कुछ संशोधन करने वाली भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य की सरकार द्वारा निकाली गई दो अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक -एक प्रति

१६. विदेशी व्यक्ति विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ द्वारा तुरन्त विधि बनाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया १२

बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया १२

सदस्यों का त्यागपत्र १२

अध्यक्ष ने बताया कि इन सदस्यों ने उनके नामों के आ` बतायी गई तारीखों से लोक सभा में अपने पदों से त्यागपत्र दे दि` हैं :

(१) श्री `क चन्द—१४ जनवरी, १९५७ ।

(२) श्री नेसामनी—१५ फरवरी, १९५७ ।]

मंगलवार, १९ मार्च के लिये कार्यावलि—

समुद्र सीमा शुल्क संशोधन विधेयक और विदेशी व्यक्ति विधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार होगा तथा उन्हें पारित किया जायेगा ।

१९५७–५८ का रेलवे बजट तथा १९५७–५८ का सामान्य बजट प्रस्तुत किया जा`गा ।